

20/12/2014

सहायक
पत्रावली (S.D.O.) बालोतरा
प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या
07 से 10 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी अनुपस्थित।
उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन
किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न
दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि
मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य
सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनी/वादीनी माफिक
अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण
में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण
कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि
स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन
के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम
द्विष्यता मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही


सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

बिन्दु प्रार्थीनी के मुसल खों कार्यवाही के अतिशय जज

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर
हो।


सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोस

पत्रावली का नम्बर
17/11/2018 (S.D.O. B)